राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

कमांक प. 3 (14) शिक्षा–4/2006 पार्ट जयपुर, दिनांकः 12 जून, 2024

निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश, अध्यापन, अनुसंधान, प्रबंधन आदि में पारदर्शिता के संबंध में दिशानिर्देश–2024

देश एवं प्रदेश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में त्वरित विकास के साथ कदम से कदम मिलाने तथा युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर उच्च स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने व प्रदेश में उच्च स्तरीय शोध के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। उच्च शिक्षा के इन केंद्रों में शैक्षणिक गुणवत्ता बनाये रखना राज्य सरकार का दायित्व है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच/सत्यापन के दौरान कुछ निजी विश्वविद्यालयों की अनेक डिग्रीयां फर्जी होने के तथ्य संज्ञान में आए हैं। एस.ओ.जी. पुलिस ने भी कई निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रीयां जारी करने के प्रकरण समय–समय पर उजागर किए हैं।

इससे प्रतीत होता है कि कतिपय निजी विश्वविद्यालय अपने अधिनियमों के प्रावधानों व संबंधित विनियमन निकायों के नियमों, परिनियमों, मापदण्डों इत्यादि की पूर्णतः पालना के प्रति गंभीर नहीं हैं। कुछ निजी विश्वविद्यालय कूटरचित तरीके से फर्जी डिग्रीयां प्रदान करने, बैक डेट में डिग्रीयां प्रदान करने, बिना अध्यापन कराए केवल परीक्षा की औपचारिकता कर डिग्रीयां देने, बिना अनुमति के पाठ्यक्रम संचालित करने, सिंगल सिटिंग में डिग्री प्रदान करने, वर्ष पर्यन्त प्रवेश देने, बिना अहर्कारी परीक्षा की वैधता का सत्यापन किए उच्चतर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने, लेटरल एण्ट्री के नाम पर सीधे द्वितीय/तृतीय वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश देकर अल्प समय में डिग्रीयां देने, शोध में यूजीसी रेगुलेशन की पालना न कर बडी संख्या में शोध उपाधियां प्रदान करने, अनियमित तरीके से बडी संख्या में खेल प्रमाण पत्र प्रदान करने आदि गतिविधियों में लिप्त हैं।

सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि आयोग द्वारा चयनित कतिपय अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान निजी विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्रियां प्रस्तुत किये जाने के प्रकरण उजागर हो रहे हैं। अतः उन्होने सुझाव दिये हैं कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा फीस ऑनलाईन ही प्राप्त की जावे, विद्यार्थियों को जारी किये जाने वाले एनरोलमेंट नम्बर के संबंध में नवीन मानक संचालन प्रकिया बनायी जावे व एनरोलमेंट नम्बर के साथ वर्ष अंकित किया जावे, डिग्री एवं अंकतालिकाओं पर एनरोलमेंट नम्बर अंकित किया जावे व परीक्षा आयोजन का दिनांक, परिणाम जारी करने की दिनांक एवं अंकतालिका जारी करने की दिनांक अंकित की जावे तथा संबंधित विनियमन निकाय की कोर्स की मान्यता के आदेश की संख्या व दिनांक अंकित की जावे।

निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों की धारा 2 (द) के अंतर्गत राज्य सरकार भी विनियमन निकाय है तथा धारा 38 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय विनियमन निकायों के समस्त नियमों, परिनियमों, मापदण्डों इत्यादि की पालना करने के लिए आबद्ध हैं।

अतः विगत में संज्ञान में आई घटनाओं एवं दिनांक 16.5.2024 को भर्ती एजेन्सियों के साथ आयोजित बैठक में विचार–विमर्श के आधार पर फर्जी डिग्रीयां जारी करने की प्रवृति को रोकने व शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निजी विश्वविद्यालयों से अधिनियमों के प्रावधानों की पालना कराने, प्रवेश, अध्यापन, अनुसंधान, परिणाम जारी करने, डिग्री प्रदान करने आदि में पारदर्शिता लाने व संबंधित विनियमन

निकायों के नियमों, परिनियमों, मापदण्डों, निर्देशों इत्यादि की पालना सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा विनियमन निकाय की हैसियत से निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. यूजीसी रेगुलेशन 2003 के अनुसार निजी विश्वविद्यालय यूनिटरी हैं, अर्थात कैम्पस के बाहर इनकी कोई ब्रांच नहीं हो सकती। निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों की धारा 7 के प्रावधानानुसार निजी विश्वविद्यालयों को किसी भी अन्य संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने या अन्यथा अपने विशेषाधिकार देने की शक्ति नहीं है। अतः विश्वविद्यालय स्वयं के कैम्पस में ही रेग्यूलर मोड पर अधिकृत पाठ्यक्रमों का संचालन अधिनियम की धारा 38 की पालना सुनिश्चित करते हुए ही करें।
2. निजी विश्वविद्यालयों को बिना राज्य सरकार, यूजीसी एवं होस्ट स्टेट/कण्ट्री की पूर्व अनुमति के अपने कैंपस के अलावा राजस्थान प्रदेश, प्रदेश से बाहर देश/विदेशों में ऑफ केंपस सेंटर/स्टडी सेंटर/ऑफ शोर सेंटर आदि स्थापित/संचालित करने का अधिकार नहीं है। अतः अनाधिकृत रूप से किसी भी प्रकार के सेन्टर्स का संचालन नहीं करें।
3. दूरस्थ शिक्षा के तहत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अपनी अनुसूची द्वितीय में वर्णित पाठ्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB) की पूर्व अनुमति से ही संचालित कर सकते हैं। अतः दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही Distance Mode पर पाठ्यक्रमों का संचालन किया जावे तथा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो से प्राप्त अनुमति पत्र तथा जिस अवधि के लिए अनुमति प्राप्त हुई है उसे स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जावे एवं इसकी सूचना विभाग को भी प्रेषित करें।
4. निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों की धारा 3(2) के प्रावधानानुसार अधिनियम की अनसूची '1' में विनिर्दिष्ट जंगम व स्थावर संपति जो स्थापना से पूर्व विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय के स्वामित्व में होती है, को अधिनियम प्रवर्तन में आने के तत्काल बाद विश्वविद्यालय में निहित करने का प्रावधान है। अतः विश्वविद्यालय अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट भूमि, भवन एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि को विश्वविद्यालय के स्वामित्व में हस्तान्तरित कर पालना रिपोर्ट मय दस्तावेजी साक्ष्यों (रजिस्ट्री, नामान्तरण, जमा बन्दी आदि) के राज्य सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों की धारा–32 के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल मेरिट के आधार पर ही दिए जा सकते हैं। व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यकमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही दिए जा सकते हैं। जिन व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यकमों यथा शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यकम, बी.पी.एड., एम.पी.एड., डीएलएड, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा इत्यादि से संबंधित पाठ्यकमों में प्रवेश के लिए राज्य या केंद्र की एजेंसियां प्रतिवर्ष प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर प्रवेश देती हैं, इन पाठ्यकमों में प्रवेश इन एजेंसियों के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्र आवंटित करवाकर ही दिए जा सकेंगें।
6. ऐसे व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यकम जिनमें राज्य या केंद्र की कोई एजेंसी प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करती है, उनमें प्रवेश हेतु समान पाठ्यकम संचालित कर रहे निजी विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन करके ही दिए जावें। विश्वविद्यालय संघ द्वारा इस हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये सीटों की संख्या एवं फीस आदि का पूर्ण उल्लेख करते हुए प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जावें तथा परीक्षा परिणाम समाचार पत्रों/नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करें एवं इसकी प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रेषित की जावें।
7. निजी विश्वविद्यालय अपने अधिनियम की धारा–38 के अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी विश्वविद्यालय विनियामक निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध है। अतः निजी विश्वविद्यालय अपने अधिनियम की अनुसूची द्वितीय में वर्णित तथा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त पाठ्यकम संचालित करने से पूर्व संबंधित विनियामक निकायों यथा यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, एनएमसी, बीसीआई, नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, पैरामेडिकल काउंसिल, काउंसिल ऑफ आयुर्वेद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आदि के मापदण्डों/नियमों/निर्देशों सहित विश्वविद्यालय अधिनियम के समस्त प्रावधानों व विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मापदण्डों, समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की

पालना सुनिश्चित करें। इस हेतु संबंधित विनियमन निकायों से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर व प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए इंटेक कैपेसिटी (सीटों की अधिकतम संख्या) स्वीकृत करवाकर उस सीमा तक ही प्रवेश दिये जावें। राज्य सरकार भी एक विनियमन निकाय है अतः राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी समस्त आदेशों/परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों आदि की पूर्ण पालना करते हुए ही पाठ्यक्रमों का संचालन करें।

8. निजी विश्वविद्यालय अपने अधिनियम तथा उसकी धारा–4 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नवीन कोर्स/पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति संबधी आदेशों को अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करें तथा अधिकृत पाठ्यक्रमों की सूची तथा पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु विनियमन निकायों से प्राप्त मान्यता/संबद्धता/अनुमति पत्रों व स्वीकृत सीटों की संख्या तथा संबंधित आदेश भी अपनी वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।
9. निजी विश्वविद्यालय प्रवेश में राज्य सरकार की आरक्षण नीति की पालना भी सुनिश्चित करें।
10. विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों से प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित समस्त शुल्क ऑनलाईन विश्वविद्यालय के बैंक खाते में ही प्राप्त करें। किसी तृतीय पक्ष के खाते से या ऑफलाइन आवेदन शुल्क लेकर किए गए प्रवेशों को अवैद्य श्रेणी में माना जायेगा।
11. विश्वविद्यालय प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में प्रवेश एवं परीक्षा का विस्तृत कलेण्डर जारी कर अपनी वेबसाईट पर अपलोड करेंगे, इसकी प्रति विभाग को भी प्रेषित करेंगे तथा इसकी अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।
12. निजी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को प्रवेश देने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि अहर्कारी परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से ही उत्तीर्ण की गई है। प्रवेश के समय विगत अहर्कारी परीक्षा जिस बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, उसके द्वारा जारी मूल माईग्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही प्रवेश देवें एवं पंजीयन करें।
13. निजी विश्वविद्यालय लेटरल एण्ट्री के प्रवेश देने से पूर्व विशेष सावधानी बरतें तथा यह सुनिश्चित कर लेवें कि लेटरल एण्टी संबंधित विनियामक निकायों के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए ही दी जावे।
14. निजी विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष 31 अगस्त या पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियमन निकायों, राज्य सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि, इनमें से जो भी बाद में हो, के पश्चात किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं देंगे। प्रवेश के साथ ही विद्यार्थियों को एनरोलमेंट नम्बर आवंटित करेंगे तथा प्रवेश की अंतिम तिथि के 15 दिवस के भीतर पाठ्यक्रमवार प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रमाणित सूची मय एनरोलमेंट नम्बर व आधार नम्बर के अंतिम चार डिजिट के राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।
15. सभी निजी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को जारी किये जाने वाले एनरोलमेंट के संबंध में एक समान मानक संचालन प्रकिया अपनायेंगे जो इस प्रकार होगी – विश्वविद्यालय प्रवेशित छात्रों को 12 अंकों का एन्रोलमेंट नम्बर जारी करेगा, जिसके प्रथम चार अंक वर्ष को, द्वितीय तीन अंक पाठ्यक्रम कोड को तथा अंतिम पांच अंक छात्रों की संख्या को इंगित करेंगे।
16. विश्वविद्यालय प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी करने के 15 दिवस के भीतर परीक्षा में सम्मिलित हुए सभी विद्यार्थियों (उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण दोनों) की अंकतालिकाएं क्रमबद्ध रूप में एवं एक ही तिथि को जारी करेंगे। विश्वविद्यालय जारी की जाने वाली अंकतालिकाओं पर एनरोलमेंट नम्बर, परीक्षा का दिनांक, परीक्षा परीणाम जारी करने की तिथि तथा अंकतालिका जारी करने की तिथि अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। इन प्रावधानों के विपरीत जारी अंकतालिकाएं अवैध मानी जावेंगी।
17. व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों की अंकतालिकाओं पर संबंधित विनियमन निकायों से प्राप्त अनुमति/सम्बद्धता आदेश का क्रमांक एवं दिनांक भी अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।
18. विश्वविद्यालय अंकतालिका व डिग्रियों को जारी करने के दिन ही उन्हें डिजी लॉकर पर भी अपलोड़ करेंगे।
19. विश्वविद्यालयों द्वारा भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं किये जावें तथा जारी किये गये प्रत्येक विज्ञापन में अनिवार्य रूप से यह अंकित करेंगे कि उसके द्वारा कोई ऑफ कैम्पस संचालित नहीं किया जा रहा है

तथा कोई अन्य संस्थान उससे संबद्ध नहीं है। विज्ञापनों में अधिकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या व विनियमन निकायों की अनुमति के आदेश का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

20. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्तमान में M. Phill पाठ्यक्रम को बंद किया जा चुका है। अतः M. Phill पाठ्यक्रम में कोई प्रवेश ना दिये जावें।
21. निजी विश्वविद्यालय शोध संबंधी पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व Ph.D संबंधी यू.जी.सी. रेग्यूलेशन, 2022 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे। शोध संबंधी यूजीसी रेग्यूलेशन 2022 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से नियुक्ति प्राप्त योग्य शिक्षकों को ही शोध निदेशक नियुक्त करें। पार्ट टाईम/एक्जेंक्ट फैकल्टी को शोध निदेशक नियुक्त नहीं करें। इन रेगुलेशन की पालना के अभाव में जारी शोध उपाधियां अवैध मानी जावेंगी।
22. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–39 के अनुसरण में वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से भेजेंगे। रिपोर्ट में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, प्रबन्ध मण्डल की बैठकों का विवरण, संचालित पाठ्यक्रम, नियुक्त फैकल्टीज की सूची, पाठ्यक्रमवार अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की संख्या, विगत अकादमिक सत्र में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या तथा कितने छात्रों को डिग्रियां/डिप्लोमा प्रदान किये गये का विस्तृत विवरण अंकित करें। साथ ही मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं राज्य सरकार द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने हेतु समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार सभी सूचनायें वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करेंगे।
23. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 40 (3) के तहत प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त पश्चात अपने वार्षिक लेखे राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।
24. विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष 30 जून से पूर्व दीक्षान्त समारोह आयोजित करेंगे तथा इसमें वितरित की गई डिग्रियों की विस्तृत पाठ्यक्रमवार रिपोर्ट अनिवार्य रूप से अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेंगे तथा राज्य सरकार को भी भिजवायेंगे।
25. सभी निजी विश्वविद्यालय विभाग के पत्र दिनांक 7.7.2017 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए रिकार्ड का संधारण करेंगे व प्रतिवर्ष राज्य सरकार को प्रस्तुत करें।
26. निजी विश्वविद्यालयों के स्टेटयूट निर्माण के लिए विभाग के द्वारा मॉडल स्टेटयूट का प्रारूप तैयार कर विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया हुआ है। अतः विश्वविद्यालय मॉडल स्टेटयूट के प्रारूप के अनुरूप अपने स्टेटयूट तैयार कर अधिनियम की धारा 29 के तहत प्रबंध बोर्ड से अनुमोदित करवाकर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें। साथ ही धारा 30 के अंतर्गत ऑर्डिनेन्सेज का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करें।

अतः सभी निजी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/दिशानिर्देशों के साथ–साथ उपर्युक्त दिशानिर्देशों की अक्षरशः एवं समय पर तथा निरंतर पालना सुनिश्चित करें। पालना नहीं करने वाले निजी विश्वविद्यालयों के विरूद्ध अधिनियमों के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाकर उन्हें ब्लेकलिस्ट किया जावेगा तथा ऐसे निजी विश्वविद्यालयों का परिसमापन करते हुए प्रशासक नियुक्त किये जायेंगे।

(सुबीर कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, मा0 राज्यपाल राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।

5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
6. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर एवं सदस्य, प्रबन्ध मण्डल, निजी विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठकों में भाग लें एवं अधिनियम के प्रावधानों, विनियमन निकायों के नियमों, परिनियमों, मापदण्डों एवं राज्य सरकार के दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
10. सचिव, एआईसीटीई, एनसीटीई, बीसीआई, पीसीआई, आईसीएआर, नेशनल मेडिकल कमिशन, एवं अन्य समस्त विनियमन निकायें।
11. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
12. प्रेसिडेण्ट, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि इन दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर तथा विश्वविद्यालय कैम्पस में नोटिस बोर्ड पर स्थाई रूप से प्रदर्शित करें व विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों, संबंधित विनियमन निकायों के समस्त नियमों, परिनियमों, मापदण्डों, इत्यादि एवं समय समय पर जारी किये गये एवं जारी किये जाने वाले दिशानिर्देशों की पालना सहित उपर्युक्त दिशानिर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें व प्रतिवर्ष विस्तृत बिन्दुवार पालना रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करें व विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भी अपलोड करें।
13. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
14. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशानिर्देशों को विभाग की वेबसाईट पर स्थाई रूप से प्रदर्शित करें।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा